न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

अध्यासित द्वारा:— श्री गंगाधर मीणा (आर.ए.एस.)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
10/22	09.06.2022	23.01.23

<u>उनवान</u>

1. मिन्दोबाई पत्नि स्व0 गुरूदयालसिंह जाति रायसिक्ख निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास।
2. कक्कासिंह ।
3. सतविन्दर सिंह।
4. सोहनसिंह।
5. सोहनसिंह।

:—अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. ग्राम पंचायत महरमपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत महरमपुर किशनगढबास जिला अलवर।

:— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध इंतकाल संख्या 225 दिनांक 01.01.1983 वाके ग्राम खोहाबास ग्राम पंचायत घासोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

....

उपस्थिति:—

1. श्री राजेश कुमार शर्मा जी एडवोकेट अपीलान्ट की ओर से।
2. ग्राम पंचायत महरमपुर की ओर से इकबाल जवाब।

—: निर्णय:—

मिन अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत महरमपुर प0स0 किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 529 वाके ग्राम दोहडा तहसील किशनगढबास के निर्णय दिनांक 21.11.2011 से व्यथित होकर पेश की जा रही है। जो अपील में विवादित आराजी है।

मिन अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तकरण संख्या 529 वाके ग्राम दोहडा पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी जांच किये मिन अपीलान्ट संख्या 2उ कक्कासिंह का नाम करनैलसिंह एवं अपीलान्ट संख्या 4 सोहनसिंह का नाम चरणसिंह दर्ज वो स्वीकार कर दिया। तथा उक्त नामान्तकरण में ज्ञानोकोर पुत्री गुरूदयाल नाम की कोई पुत्री मिन अपीलान्ट एवं मृतक गुरूदयाल सिंह के नही है।

23/01/23

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner

मिन अपीलान्ट 1 लगा0 6 ही मृतक गुरूदयाल सिंह के विधिक वारिसान है इनके अलावा अन्य कोई वारिस नही है अपीलान्ट संख्या 2 कक्कासिह की जगह करनैलसिंह एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 सोहनसिंह की जगह चरणसिंह दर्ज नामान्तकरण हो गया है। तथा ज्ञानोकोर पुत्री गुरूदयाल सिंह नाम की कोई पुत्री मृतक गुरूदयालसिंह के नही थी बेवजह बिना जांच किये नाम दर्ज नामान्तकरण किया गया है। जो न्याय एवं विधि के अधिकारों के खिलाफ है जिससे मिन अपीलान्ट के हक वो अधिकार का हनन होता है। मिन अपीलान्ट द्वारा अपने अधिकारों की रक्षार्थ आधार कार्ड, राशनकार्ड, जनआधार कार्ड की प्रति पेश की गई है।

उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत महरमपुर के विरूद्ध पेश की गई है। जिसका श्रवण का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को ही है। इसलिए ग्राम पंचायत को ही पक्षकार अपील बनाया गया है।

अतः अपील अपीलान्ट बाबत नामान्तकरण संख्या 529 वाके ग्राम दोहडा तहसील किशनगढबास स्वीकार की जाकर तहसीलदार किशनगढबास को ओदशित किया जावे कि नामान्तकरण संख्या 529 वाके ग्राम दोहडा तहसील किशनगढबास बाबत आराजी खसरा नं0 90 रकबा 0.47हे0 एवं 263 रकबा 0.32हे0 वाके ग्राम दोहडा में दर्ज करनैलसिंह के नाम को कक्का सिंह एवं चरणसिंह के नाम को सोहनसिंह दर्ज किया जावे तथा नामान्तकरण में दर्ज ज्ञानोकोर पुत्री गुरूदयाल सिंह के नाम को हजफ़ किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

रेस्पोंडेन्ट की ओर ग्राम पंचायत महरमपुर के सचिव ग्राम पंचायत महरमपुर ने स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका मे इकबाल जवाब पेश किया गया कि यदि अपील मिन्दो बनाम ग्राम पंचायत को यदि स्वीकार किया जाता है तो ग्राम पंचायत महरमपुर को कोई आपत्ति नही है।

वकील अपीलांट को दफा 5 एवं मूल अपील पर सुना गया चूंकि अपीलान्ट अनपढ, ग्रामीण परिवेश का होने के कारण नामांतकरण की सही एवं गलत होने बाबत जानकारी नही होनो सही प्रतीत होता है। अतः न्यायाहित मे प्रा0पत्र दफा 5 को स्वीकार किया जाकर दिनांक 21.11.2011 से 31.01.2022 तक की अवधि कन्डोन करते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद स्वीकार किये जाने की अनुमति दी जाती है। वकील अपीलान्ट को मूल अपील की बहस पर सुना गया बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के अवलोकन से साबित होता है कि नामान्तकरण संख्या 529 वाके ग्राम दोहडा को खारिज कर पुनः तहसीलदार किशनगढबास को नियमानुसार जॉच कर अग्रीम कार्यवाही हेतू भिजवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है किः—

अपील अपीलांटन स्वीकार कर ग्राम पंचायत महरमपुर पं0स0 किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 529 वाके ग्राम दोहडा तहसील किशनगढबास को खारिज किया जाकर तहसीलदार किशनगढबास को आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान की पुनः नियमानुसार जॉच कर अग्रीम कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/01/23
(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास अलवर

Scanned with OKEN Scanner